अत्तर रलाव NORTHERN RAILWAY वडीवा हाचस. म्०क्र0सं0 13500/70 प सं 561-E/6 CPC/2008 सभी मुख्य विभागाध्यक्ष समस्त मण्डल रेल प्रवन्धक एवं अतिरिक्त मण्डल कार्यालय (मानक सूची के अनुसार) विषय:- Placement and fixation of pay of Group D Railway employees (other than RPF/RPSF) in Grade Pay Rs. .1800 in Pay Band I (Rs. 5200-20200) -Clarification. रेल मंत्रालय के पत्र सं. PC-VI/2008/I/3/I दिनांक 12/01/2009 (आर. बी. ई. सं. 08/09) क्र. सं. पी. सी. -VI/ 70 की प्रतिलिपि सुचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं। इसमें उल्लिखित ऐल मन्नालय के पन्न सं. PC-VI/2008/ 1/3/ 1 दिनांक 29/10/2008 (RBE No. 160/2008) की प्रतिलिपि मु०क्रं०सं० 13500/39 के अर्न्तगत भेजी जा चुकी हैं। संलग्न/यथोक्त कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक प्रतिलिपि:-1. सभी कार्मिक अधिकारी/प्र.का. बड़ौदा हाउस, नई दिल्ली। 2. महासचिव;एनआरएमयू:12 चेम्सफोर्ड रोड;नयी दिल्ली 3. महासचिव;अ०भा०अ०जा०/अ०ज०जा० रेल कर्मचारी संगठन सी-16 के रेलवे कालोनी लाजपतनगर; नईदिल्ली-24 4. महासचिव; अ०भ०अ०पि०व० रेल कर्मचारी संगठन 171/ए; 3 बसंत लेन नई दिल्ली।

भारत सरकार रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पीसी-6/ 70

आरबीई सं. 🔿 🖁 / 2009

सं. पी सी-6/2008/आई/3/1

नई दिल्ली, दि. 12 _01.2009

महाप्रबन्धक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर) सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ (डाक सूची के अनुसार)

विषय — समूह 'घ' रेल कर्मचारियों (रेलवे सुरक्षा बल/रे0 सु0 वि0 बल को छोडकर) की ग्रेंड वेतन रू. 1800, वेतन बैंड —1 (रू. 5200—20200) में स्थापना एवं वेतन निर्धारण —स्पष्टीकरण

छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार समूह 'घ' रेल कर्मचारियों (रेलवे सुरक्षा बल/रे0सु0 वि0 बल को छोडकर) को ग्रंड वेतन रु. 1800, वेतन बैंड 1 (रू. 5200–20200) में स्थापना एवं वेतन निर्धारण के निर्देश बोर्ड के दिनांक 29.10.2008 के समसंख्यक पत्र (आर बी ई सं.160/2008) के द्वारा जारी किए गए हैं।

कुछ रेलों / इकाइयों ने उन समूह 'घ' कर्मचारियों जो संशोधित न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं और 1.1.2006 से संशोधित वेतन नियम, 2008 की अधिसूचना की तिथि तक, जिनकी सेवानिवृति / त्यागपत्र / स्वेच्छिक सेवानिवृति / मृत्यु हो गई है, के बारे में उक्त निर्देशों के संदर्भ में स्पष्टीकरण मांगे हैं।

वित्त मंत्रालय से इस मामले में विचार विमर्श के बाद कुछ रेलों / इकाइयो द्वारा उठाये गए संदेह के बिन्दु एवं उनके संदर्भ में स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं.	संदेह के बिन्दु	स्पष्टीकरण
1.	उन समूह 'घ' कें कर्मचारियों, जो न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं और जिनकी 1.1.2006 से अब तक मृत्यु /सेवानिवृति हो चुकी है का संशोधित वेतन ढांचे	समूह 'घ' के उन कर्मचारियों, जो न्यूनतम अर्हताएं नहीं रखते हैं और जो 1.1.2006 से संशोधित वेतन नियम की अधिसूचना की तिथि के बीच सेवानिवृत हो चुके हैं/ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, का वेतन निर्धारण –1एस वेतन बैंड में निर्धारित किया जायेगा और वे रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2008 में दर्शाए गए अपने

JE--- 1/2100

	वेतन बैंड में या वेतन बैंड-1 में स्थापित किया जायेगा।	WAR I PART TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	
2.	जो पूर्व संशोधित वेतनमान 2550—55—2660—60—3200 (उदाहरणतः — चपरासी) में थे और जिन्हें 1.1.2006 से वेतन बैंड पीबी—1 में ग्रेड वेतन रू० 1800 में स्थापित किया जाना है और जिन्हें बाद में एसीपी/पदोन्नति मिली है, यह स्पष्ट नहीं है कि उनका ग्रेड वेतन कितना होगा। यदि ग्रेड वेतन	उन रेल कर्मचारियों, जिन्हें एसीपी स्कीम के अन्तर्गत उच्चतर वेत्रामान में वित्तीय अपग्रें डेशन दिया गया है, को एसीपी के अन्तर्गत दिये गये पूर्व संशोधित उच्चतर वेतनमान के संगत ग्रेंड वेतन दिया जायेगा। तथापि पूर्ववर्ती समूह 'घ' कर्मचारियों के मामले में, सभी पात्र कर्मचारियों को उनके पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान के निरपेक्ष, चाहे उन्हें समूह 'घ' का वेतनमान नियमित नियुक्ति/पदोन्नित अथवा एसीपी के अन्तर्गत मिला हो, वेतन बैन्ड पीबी–1 में ग्रेड वेतन रू. 1800 दिया जायेगा।	
	अपरिवर्तित रहता है तो कर्मचारी को पदोन्नित / एसीपी में कोई लाम नहीं मिलेगा। यदि उन्हें संशोधित वेतन ढांचे के वेतन अनुक्रम में अगला उच्च वेतन ग्रेड दिया जाता है तो उससे वरिष्ठ कर्मचारी जैसे कि दफतरी/वरिष्ठ चपरासी इत्यादि नुकसान की स्थिति में होंगे।	The residence and used to see of the second	Clie
	यह आदेश रेल मंत्रालय के वित्त र्ग	नेदेशालय की सहमति से जारी किए जा रहे हैं।	
		्यू. के. तिवारी) उप निदेशक / वेतन आयोग रेलवे बोर्ड	
सं. पी स	fl-6/2009/आई/3/1	नई दिल्ली, दि. 1201.2009	
	and an analysis and analysis analysis and analysis analysis and analysis analysis analysis and analysis analy	को अग्रेषित (40 अतिरिक्त प्रतियां)	
		कृते वित्त आयुक्त/ रेलें	

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

S.No. PC-VI 70

No. PC-V1/2008/1/3/1

RBE No. 98 /2009

dated 12 -01-2009.

The GMs/CAO(R), All Indian Railways & Production Units (As per mailing list)

As per mailing its

Sub:- Placement and fixation of pay of Group 'D' Railway employees (other than RPF/RPSF) in Grade Pay Rs.1800 in Pay Band-1 (Rs.5200-20200)- Clarification.

As per recommendations of 6th CPC, instructions for placement and fixation of pay of Group 'D' Railway employees (other than RPF/RPSF) in Grade Pay Rs.1800 in Pay Band-1 (Rs.5200-20200) were issued vide Board's letter of even no. dated 29-10-2008 (RBE No.160/2008).

In reference to above instructions, some of the Railways/Units have sought clarification regarding those Group 'D' staff who did not possess the revised minimum qualification, and have retired/ resigned/ voluntarily retired/ expired during the period from 01-01-2006 till date of notification of the Revised Pay Rules-2008, without getting retrained.

The matter has been examined in consultation with Ministry of Finance and the points of doubt raised by some of Zonal Railways/Units and the clarifications thereto are as under:-

S.N	Point of doubt	Clarification
1	How will the pay of those Group 'D' officials who do not possess the minimum qualification and have retired/died in harness from 01-01-2006 till date be fixed in the revised structure? Whether they will be placed in -1S pay band or in the pay band PB-1?	Those Group 'D' employees who did not possess the minimum qualification and who have retired/ died in harness between 01-01-2006 and date of notification of Revised Pay Rules will be granted pay band -1S and the grade pay corresponding to their pre-revised pay scale as notified in Railway Services (Revised Pay) Rules-2008.
2.	In the case of those Group 'D' officials who were in the pre-revised scale of Rs.2550-55-2660-60-3200 (e.g. Peon) and who are to be placed in the pay band PB-1 with Grade Pay of Rs.1800 w.e.f. 01-01-2006 and are subsequently granted ACP/Promotion, is not clear as to what will be their grade pay. If the grade pay remains unchanged, the officials will not be getting any benefit on promotion/ACP. In case	Railway servants who have been granted financial upgradation to a higher scale under the ACP Scheme will be granted the grade pay corresponding to the higher pre-revised pay scale that was granted to them under ACP. However, in case of erstwhile Group 'D' employees, all such eligible employees will be granted grade pay of Rs.1800 in PB-1, irrespective of their pre-revised Group 'D' pay scale whether

Contd --- 2/-

they are granted next higher grade in the granted hierarchy of revised pay structures, it will appointment/promotion or under ACP. put seniors viz. Daftry/Senior Peons etc. at a disadvantageous position. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways. (U.K.Tiwari) Dy. Director, Pay Commission-VI New Delhi, dated . 12 -01-2009. No: PC-VI/2008/I/3/1 Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi. for Financial Commissioner/Railways New Delhi, dated . 12.01.2009 No.PC-VI/2008/I/3/1